राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)/तरणताल बांसवाडा/2020–21/ दिनांक :

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय : तरणताल **निर्माण कार्य** बांसवाडा की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

विभागीय पत्रांक 27613–21 दिनांक 08.07.2019 द्वारा **जिला बांसवाडा मे तरणताल निर्माण कार्य स्टेडियम कॉलेज ग्राउण्ड बांसवाडा** की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना से कार्य का विस्तृत तकमीना, तकनीकी स्वीकृति, ड्राईंग प्लान, थ्री–डी ऐलिवेशन **(APO/SWACH/BANSWARA/1156/28.07.2021)** प्राप्त हुई है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

(राशि लाखो मे)

S.No	Name or work	Amount
1	Part (A) - Construction of Swimming pool Main Building	135.25
2	Part (B) - Construction of Swimming pool.	134.79
3	Part (C) - Flooring WORK in Surrounding Space of Swimming Pool	13.03
4	Part (D) - Construction of RCC Machine Room & balancing Tank.	47.96
5	Part (E) - Construction of Seating Pavilion.	48.18
6	Part (F) - Construction of Boundary Wall.	12.54
7	Part (G) - Construction of Tube-well.	2.33
8	Part (H) - Miscellaneous Item.	14.50
9	Part (I) - Detail Estimate for Various equipment of swimming Pool (Item rate).	138.02
	TOTAL	**546.60**
	Add 1.25% Contingency chrges	6.83
	TOTAL	**553.43**
	Add 4% Establishment Charges	22.19
	TOTAL	**575.62**
	0.25% Contigency Charges for monitering TAD	**1.37**
	GRAND TOTAL (In Lacs)	**576.99**

स्वच्छ परियोजना से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से जिला बांसवाडा मे **तरणताल निर्माण कार्य स्पोर्ट्स स्टेडियम बांसवाडा परिसर** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 576.99 लाख की जारी की जाती है।

उपरोक्त कार्य पर राशि रू. 576.99 लाख का व्यय हेतु प्रथम किश्त के तौर पर संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की निम्नांकित स्वीकृतियों मे प्राप्त राशि मे से स्विमिंग पूल निर्माण बांसवाडा के लिए व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विभागीय पत्रांक 23462–66 दिनांक 19.08.2021 द्वारा यह राशि उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष राशि की व्यवस्था राज्य योजना मद अथवा 275(1)मद अन्तर्गत पृथक से की जायेगी।

शासन की स्वीकृति संख्या	योजना का नाम जिसके लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त हुई	प्राप्त राशि (लाखो में)
16/2018-19	स्विमिंग पूल निर्माण उदयपुर	50.00
21/2019-20	स्विमिंग पूल निर्माण उदयपुर	50.00
105/2019-20	स्विमिंग पूल निर्माण उदयपुर	50.00
	योग	**150.00**

शर्ते–

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावें।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमो की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
4. स्वीकृत कार्यो का third party inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. कार्य के गुणवत्ता पूर्वक कराने की जिम्मेदारी तकनीकी स्वीकृति जारी कर्ता पदाधिकारियो की होगी।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व फोटोग्राफ प्रस्तुत करे। प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित करावे।
8. स्वीमिंग पूल निर्माण विशेषज्ञ एवं तैराकी विषय विशेषज्ञ स्पोर्ट्स ऑथोरेटी ऑफ इण्डिया (SAI) कन्सलटेंट नियुक्ति कर उनकी देख–रेख में कार्य का सम्पादन करवाया जावे।
9. निर्माण पश्चात् संचालन राजस्थान क्रीडा परिषद् द्वारा किया जायेगा जिसमे स्वीमिंग पूल क्षमता के न्यूनतम 25 जनजाति छात्र/छात्राओं को निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण दिया जावे। इस आशय का क्रीडा परिषद् से एम.ओ.यू. करने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ किया जावे।
10. निर्माण पश्चात् 3 वर्ष तक संवेदक द्वारा आईटम रिपलेस एवं डिफेक्ट सुधार की वारन्टी रहेगी व संवेदक द्वारा तरणताल प्रोजेक्ट कार्य का रख–रखाव किया जावेगा।
11. कार्यादेश जारी करने से पूर्व आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त करे।
12. स्विमिंग पूल निर्माण मे पुल निर्माण के कार्य का अनुभव वाले संवेदक को ही निविदा में सम्मिलित किया जावे। बोलीदाता के द्वारा गत पांच वर्षों में GOVT /SEMI GOVT/LARGE CORPORATE/SOCIETY में समान कार्य करने का अनुभव हो।
13. बोलीदाता के पास स्विमिंग पूल एव RO प्लांट के उपकरणों के उत्पादित अथवा संधान करने के NSIC/DIC (डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर) द्वारा पंजीकृत इकाई हो जिसका सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य हो।

14. पंजीकृत इकाई में स्विमिंग पूल एवं RO प्लांट के उपकरणों को निरिक्षण, जांच एवं प्रेषण पूर्व निरिक्षण करने की सुविधा उपलब्ध हो। इसके हेतु चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हो।
15. बोलीदाता द्वारा पूर्व में ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं मैनेजमेंट सिस्टम लगाने एवं रख रखाव करने का अनुभव अनिवार्य हो।

sd
(प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S
आयुक्त

एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)/तरणताल बांसवाडा/2020–21/26076-87 दिनांक : 08/09/21
प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर।
5. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना बांसवाडा।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. खेल अधिकारी, क्रीडा परिषद् जिला बांसवाडा।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in